आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 76/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच. डी. एफ. सी. बैंक लि., बैंक हाऊस, सेनापति बापट मार्ग लोअर पारेल (पश्चिम) मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स श्री बालाजी ऑयल एण्ड जनरल मिल्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती मंजू गर्ग,
   पता— सरूण्ड, कोटपूतली, जयपुर।
2. श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग,
3. श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग विधिक वारिस स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग एवं स्व. श्रीमती माया देवी,
4. श्री अंकित गर्ग पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग विधिक वारिस स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग एवं स्व. श्रीमती माया देवी,
   पता— मकान नं. 132, न्यू ग्रेन मार्केट, रेवाडी।
5. श्री अंकुर गर्ग पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग, विधिक वारिस स्व. श्री अशोक कुमार गर्ग एवं स्व. श्रीमती माया देवी,
   पता— गर्ग प्लाईवुड, राजेश पायलट चौक के पास, गढी बोलनी रोड, रेवाडी।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री रजत बंसल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांकः 17.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती मंजू गर्ग के स्वामित्त्व की संपत्ति संपरिवर्तित भूमि खसरा संख्या 618, ग्राम सरुण्ड, कोटपूतली, जिला जयपुर, कुल क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर** को बन्धक रख कर दिनांक **21.03.2016, 10.08.2017 एवं 05.04.2018** को कुल राशि **350/– लाख** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **22.08.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि **350/– लाख** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **05,54,65,320.25/–** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **22.08.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन मे आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती मंजू गर्ग के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति संपरिवर्तित भूमि खसरा संख्या 618, ग्राम सरूण्ड, कोटपूतली, जिला जयपुर, कुल क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **17.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर